AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं उसका मूल्यांकन (सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में)

ORIGINAL ARTICLE

Authors

प्रो. डॉ. अजीमखान बी पठान
डीन– प्रोफेसर, विधि विभाग
कलिंगा यूनिवर्सिटी
नया रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

डॉ. भूपेंद्र करवंदे
सहायक प्राध्यापक, विधि विभाग
शा. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

रत्ना श्रीवास्तव
पीएचडी स्कॉलर, विधि विभाग
कलिंगा यूनिवर्सिटी
नया रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अधिकार की व्याख्या और सीमा को सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने समय–समय पर अपने निर्णयों के माध्यम से परिभाषित किया है। न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाते हुए किया जाए।

मुख्य शब्द

धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, संविधान, लोकतंत्र, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय.

परिचय

भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। यह अधिकार व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और उसे मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान में यह अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के तहत प्रदान किया गया है। इन अनुच्छेदों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना रहे, जहाँ सभी धर्मों को समान आदर मिले। धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष संविधान के लिए पूरक हैं। ये दोनों ही भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में सहायक हैं। ये दोनों ही भारतीय संविधान के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो देश की विविधता और लोकतांत्रिक संरचना को बनाए रखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विश्वासों के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके, जबकि धर्मनिरपेक्षता यह सुनिश्चित करती है कि राज्य धर्म के मामलों में निष्पक्ष रहे। इन दोनों का संतुलन बनाए रखना भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की सफलता की कुंजी है।

मूल अधिकार

मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदत्त ऐसे अधिकार हैं, जो व्यक्ति के विकास, स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है। इन्हें संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 35) में वर्णित किया गया है।

ये छः प्रकार के हैं जो कि निम्न हैं:

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14–18)।
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19–22)।
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23–24)।
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25–28)।
5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29–30)।
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)।

संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान

भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों का एक अभिन्न हिस्सा माना गया है। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, प्रचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखने के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता को संविधान के तहत विशेष प्रावधानों द्वारा संरक्षित किया गया है। जो निम्न है:

अनुच्छेद 25: अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा।

अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतंत्रता

- प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, धार्मिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है।
- यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है।

अनुच्छेद 27: कराधान की स्वतंत्रता

कोई भी व्यक्ति ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं होगा, जिसका उपयोग किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए किया जाता हो।

अनुच्छेद 28: धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता

- किसी भी राज्य द्वारा संचालित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है।
- निजी और धार्मिक संस्थानों में यह स्वतंत्रता उपलब्ध है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय–समय पर धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए इसे स्पष्ट किया गया है। कुछ प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं:

- **एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994):** इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंथनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढाँचा है। राज्य सभी धर्मों और धार्मिक समुदायों के साथ समान व्यवहार करता है।

- **बिजो बनाम इमैनुएल (1986):** इस मामले में अपने ऐतिहासिक एवं दूरगामी प्रभाव वाले निर्णय में उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को, जिसका धार्मिक विश्वास इसकी अनुमति नहीं देता, राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

- **इस्माइल फरूकी बनाम भारत संघ (1994):** उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य को अपनी संप्रभु शक्ति के प्रयोग में पूजा के स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर को अधिग्रहण का

अधिकार है। पूजा करने के अधिकार के अंतर्गत किसी या हर स्थान पर पूजा करने का अधिकार शामिल नहीं है।

- **शिरूरमठ मामला (1954):** यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता पर एक ऐतिहासिक निर्णय था। सर्वोच्च न्यायालय ने "मूल धार्मिक प्रथाओं" का सिद्धांत पेश किया। न्यायालय ने कहा कि जो प्रथाएं किसी धर्म का अभिन्न हिस्सा हैं, वे संविधान द्वारा संरक्षित होंगी। साथ ही जो गतिविधियां धर्म के नाम पर होती हैं लेकिन नहीं मानी जाती, वे राज्य द्वारा विनियमित की जा सकती हैं।
- **रत्नमाला बनाम भारतसंघ (1962):** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण नहीं है और यह सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के आधीन है। कोई भी धार्मिक प्रथा समाज की नैतिकता और कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती।
- **सरलामुद्गल बनाम भारतसंघ (1995):** इस मामले में धर्मांतरण और व्यक्तिगत अधिकारों का सवाल था। न्यायालय ने कहा कि धर्मांतरण की अनुमति केवल स्वेच्छा से हो सकती है, जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण असंवैधानिक है। धर्म की स्वतंत्रता के दुरूपयोग को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
- **तीन तलाक मामला (शायराबानो बनाम भारत संघ 2017):** न्यायालय ने तीन तलाक(तलाक ए बिद्दत) को असंवैधानिक घोषित किया। न्यायालय ने कहा कि धार्मिक प्रथाएं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकतीं, यह निर्णय महिलाओं को सशक्त करने और धार्मिक प्रथाओं की समीक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
- **सबरीमाला मंदिर मामला (2018):** केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई, न्यायालय ने कहा कि महिलाओं को प्रवेश से वंचित करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। निर्णय ने लैंगिक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश की।
- **हिजाब विवाद (2022):** कर्नाटक में स्कूल ड्रेस कोड को चुनौती देते हुए हिजाब पहनने की अनुमति की मांग की गई। न्यायालय ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम का मूल धार्मिक प्रथा नहीं है। यह निर्णय सार्वजनिक व्यवस्था और व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखने पर आधारित था।

धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता में संबंध

1. **परस्पर पूरकता:** धर्मनिरपेक्षता यह सुनिश्चित करती है कि सरकार किसी धर्म को विशेष लाभ न दे, जिससे सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता समान रूप से मिल सके।
2. **संविधान और कानून का आधार:** धर्मनिरपेक्ष समाज में ही धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म के पक्ष में भेदभाव नहीं करता।
3. **सांप्रदायिक सौहार्द:** धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है, जिससे समाज में धार्मिक सद्भाव बना रहता है।
4. **नागरिक अधिकारों की सुरक्षा:** धर्मनिरपेक्ष सरकार सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर भेदभाव न सहना पड़े, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षण मिलता है।

धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित न्यायालय का मूल्यांकन

1. **धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत:** न्यायालय ने मूल धार्मिक प्रथाओं की व्याख्या करते हुए कहा कि केवल उन्हीं प्रथाओं को संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त होगा जो धर्म का अभिन्न हिस्सा है। गैर–आवश्यक या सामाजिक रूप से हानिकारक प्रथाओं को इस अधिकार का हिस्सा नहीं माना जाएगा।
2. **धर्म और कानून के बीच संतुलन:** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। यदि कोई धार्मिक प्रथा इन मूल्यों का उल्लंघन करती है, तो उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है।

3. **धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षाः** न्यायालय ने कई बार अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि बहुसंख्यक समुदाय के दबाव में उनकी स्वतंत्रता का हनन न हो।
4. **समानता और लैगिंक न्यायः** न्यायालय ने धार्मिक प्रथाओं की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित किया कि वे संविधान में निहित समानता और लैंगिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप हों।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता को व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। सार्वोच्च न्यायालय के निर्णय इस स्वतंत्रता की व्याख्या और सीमाओं को स्पष्ट करते हैं, हालांकि धर्म और राज्य के बीच संतुलन बनाए रखना एक सतत् चुनौती है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर इसलिए अधिक चुनौतियाँ है क्योंकि यहाँ विभिन्न समुदाय और विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं जबकि अन्य देशों में केवल विशेष रूप से एक विशेष धर्म को मानने वाले ही लोग हैं इसलिए वहां धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना अपेक्षाकृत आसान है। इसलिए भारत में धर्म और राज्य के बीच संतुलन को बनाए रखने के लिए संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय का पालन आवश्यक है।

संदर्भ सूची

1. https://hindi.ipleadera.in/freedom-of-religion-under-indian-constitution-2/, Accessed on 10/01/2025.
2. https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/freedom-of-religion-4, Accessed on 12/01/2025.
3. https://newsroom-churchofjesuschrist-org.translate.goog/official-statement/religious-freedom, Accessed on 10/01/2025.
4. https://articles.manupatra.com/article-details/Freedom-of-Religion-under-Indian-Constitution, Accessed on 13/01/2025.
5. https://unacademy.com/content/clat/study-material/legal-reasoning/right-to-freedom-of-religion-what-it- means-and-why-it-matters/, Accessed on 13/01/2025.
6. पाण्डेय, जय नारायण (2022) *भारत का संविधान,* सेंट्रल लॉ एजेंसी, प्रयागराज, उत्तरप्रदेश।
7. बाबेल, बसन्ती लाल (2013) *भारत का संविधान,* सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, प्रयागराज, उत्तरप्रदेश।

——==00==——